

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-343

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम के बकाया ऋण

*343. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बावजूद डिस्कॉम की संचयी हानि और बकाया ऋणों की मात्रा बढ़ रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;
- (ग) क्या डिस्कॉम कंपनियों को उनकी बदहाली से बाहर निकालने के पिछले दो प्रयास असफल रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"डिस्कॉम के बकाया ऋण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 343 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के कार्यनिष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, डिस्कॉमों की संचित हानियां एवं बकाया ऋण वर्ष 2012-13 में क्रमशः 2,53,700 करोड़ रुपए एवं 3,04,228 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2014-15 में क्रमशः 3,60,736 करोड़ रुपए एवं 4,06,825 करोड़ रुपए हो गया है।

तथापि, नवम्बर, 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत से भागीदार राज्यों द्वारा वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक वार्षिक हानियों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की अनंतिम कमी की सूचना दी गई है।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में सभी पारंपरिक स्रोतों से उत्पादन क्षमता में 99,209.5 मेगावाट की वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन क्षमता के साथ डिस्कॉमों की हानियों/ऋण के बीच कोई स्थापित परस्पर संबंध नहीं है।

(ग) और (घ) : डिस्कॉमों की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के समाधान के लिए विगत में किए गए प्रयास सीमित थे, क्योंकि डिस्कॉम वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउंड प्राप्त नहीं कर सके। संचित हानियां एवं रखे गए ऋण बढ़ने के कई कारण हैं जिनमें स्कीम की सीमाएं, राज्यों द्वारा सीमित प्रतिभागिता एवं डिस्कॉमों के असंधारणीय प्रचालन शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-356

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

सभी नागरिकों को बिजली

*356. श्री अरविंद सावंत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में सभी नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु कोई पहल की है/कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऐसी बसावटों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/केन्द्रों/कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है;
- (ग) वन-क्षेत्रों, द्वीपों और अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को कितने विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं; और
- (घ) इस प्रयोजनार्थ विद्युत की कितनी मात्रा तथा कितने किलोमीटर लम्बी विद्युत तार की आवश्यकता है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सभी नागरिकों के बिजली" के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 356 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत की आपूर्ति राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, निरंतर आपूर्ति को सक्षम बनाने के लिए, भारत सरकार ने सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र सरकार के साथ "सभी के लिए 24X7 विद्युत" करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) आदि सहित अपनी स्कीमों के माध्यम से राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ख) : वाणिज्यिक स्थापना/केंद्रों/कंपनी/व्यवस्था की संख्या परिवर्तनशील प्रकृति की है और यह बदलती रहती है। उन्हें कनेक्शन संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा परिभाषित (निष्पादन मानक) (एसओपी) के मानक के अनुसार जारी किए जाते हैं।

(ग) : 30.06.2017 तक की स्थिति के अनुसार, वन क्षेत्रों, द्वीप समूहों तथा अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 2.63 करोड़ परिवारों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत निःशुल्क बिजली सर्विस के कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(घ) : सभी के लिए विद्युत दस्तावेज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, सभी के लिए विद्युत सुगम बनाने के लिए विद्युत की अपेक्षित कुल मात्रा तथा किलोमीटर में बिजली के तार लंबाई संबंधित राज्य/डिस्कॉमों द्वारा प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2017-18 के लिए, अनुमानित राशि नीचे दी गई है:

विवरण	2017-18
मिलियन यूनिट (एमयू) में विद्युत मांग	13,57,091.10
मेगावाट में व्यस्ततम मांग	2,26,182.07
सर्किट किलोमीटर में अंतःराज्यीय पारेषण	24,866.86
सर्किट किलोमीटर में 66, 33 और 11 केवी लाइनों की नवीन एवं क्षमता अभिवृद्धि	2,44,032.70
सर्किट किलोमीटर में एलटी लाइनों की क्षमता अभिवृद्धि	1,90,616.50

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-359

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत स्टेशन

*359. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में ताप विद्युत स्टेशनों के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं;
- (ख) क्या ताप विद्युत स्टेशनों में उपयोग होने वाले कोयला और अन्य कच्चे माल तथा मशीनों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और
- (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ताप विद्युत स्टेशन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 359 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : देश में ताप विद्युत स्टेशनों के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

- (i) मेगा पावर पॉलिसी के अनुसार, मेगा पावर परियोजनाएं कुछ वित्तीय रियायतें/लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं, ऐसी परियोजनाएं जिन्हें मेगा पावर का दर्जा प्रदान किया गया है, वे भी इस शर्त के अधीन इन वित्तीय छूटों/लाभों को प्राप्त करने के भी पात्र हैं कि इन परियोजनाओं के विकासकर्ता 'अनंतिम' मेगा प्रमाण पत्रों में निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे और 60 माह की अवधि के भीतर कर प्राधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र देंगे। चूंकि अधिकांश विकासकर्ता उपर्युक्त शर्त को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए भारत सरकार ने उपर्युक्त समय-सीमा 60 माह से बढ़ाकर 120 माह कर दी है।
- (ii) भारत सरकार ने नियमित कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए 17.05.2017 को विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात् शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के प्रयोग और आबंटन के लिए स्कीम) का अनुमोदन प्रदान किया है जिसके लिए पहले से किए गए दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) तथा भविष्य में किए जाने वाले दीर्घावधि-विद्युत क्रय करार (पीपीए) और केंद्र और राज्य सरकार तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोयला उपलब्ध करवाया जाता है।
- (iii) भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- (iv) ग्रेड स्लिपेज की समस्या को दूर करने के लिए लोडिंग तथा अनलोडिंग दोनों के उद्देश्य से तीसरे पक्ष की सैंपलिंग शुरू की गई है।

(ख) और (ग) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने दिनांक 29 मई, 2016 की अधिसूचना के माध्यम से 30 मई, 2016 से सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित नॉन-कोकिंग कोयले के सभी ग्रेडों की कीमत का यौक्तिकीकरण किया है। कोयले के जी-6 से जी-17 ग्रेडों के लिए विद्युत यूटिलिटीयों के वास्ते खान के नान-कोकिंग कोयले की पिट हैड रन की कीमत में वृद्धि 12.6% से 18.8% की रेंज में है जबकि कोयले के उच्च ग्रेडों की कीमत 29.2% की सीमा तक कम हो गई है।

केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार, कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए "स्वच्छ ऊर्जा कर" का नाम बदलकर "स्वच्छ पर्यावरण कर" कर दिया गया था और इसकी दर 200 रुपए पीएमटी से बढ़ाकर 400 रुपए पीएमटी कर दी गई थी।

भारत सरकार ने कोयले पर 5% की दर से जीएसटी लगाकर कोयले के कर भार को कम कर दिया है। जीएसटी के पूर्व कोयले पर 6% की दर से उत्पाद शुल्क, 10 रुपए टन की दर से स्टोइंग एक्साइज ड्यूटी, 5% की दर से वैट और 2% की दर से सीएसटी (अंतर्राज्यीय विक्रय पर) था।

देश में पर्याप्त घरेलू विद्युत उपस्कर विनिर्माण क्षमता उपलब्ध है जिससे प्रतिस्पर्धी कीमतें बढ़ी हैं और उपस्कर दक्षताओं में सुधार आया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3925

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत कवरेज

3925. श्री गौरव गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिजली के कवरेज के मामले में असम के 27 जिलों में गोलाघाट जिले का 35.17 प्रतिशत के साथ 24वां स्थान है, जिले के 79 गावों में विद्युतीकरण शून्य प्रतिशत है तथा 'उजाला' योजना के अंतर्गत जिले में 14 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार एक भी एलईडी बल्ब का वितरण नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त जिले के लिए डीडीयूजीजेवाई योजना का 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान वित्तीय परिव्यय क्या है; और
- (ग) उक्त जिले में 2017-18 के दौरान एलईडी बल्बों के वितरण की क्या योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विद्युत कवरेज के संबंध में असम के जिलों में जिला गोलाघाट का 25वां स्थान है। असम में उजाला कार्यक्रम का कार्यान्वयन असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) द्वारा किया जाता है और उनकी सूचना के अनुसार जिले में 4830 एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है।

(ख) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 105.02 करोड़ रुपये के इसके आरई घटक के अतिरिक्त जिला गोलाघाट के लिए 78.13 करोड़ रुपये मूल्य की नई परियोजना मंजूर की गई है। मंजूर परियोजनाओं के लिए निधियां पूर्व किस्तों में राशि के सूचित उपयोग तथा अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती है। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान जिला गोलाघाट, असम के लिए 155 लाख रुपये की सब्सिडी संवितरित की गई है।

(ग) : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने असम में एलईडी बल्बों के वितरण के लिए एपीडीसीएल के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिला स्तर पर मांग के आधार पर एपीडीसीएल एलईडी बल्ब का वितरण करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3929

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा कोयले का आयात

3929. श्री एम. उदयकुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी ने 2010 से 2015 के छह वर्षों के दौरान कोयले के आयात पर 6869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एनटीपीसी द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यय को रोकने हेतु भविष्य में क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्ष 2010 और 2015 के बीच, एनटीपीसी ने घरेलू स्रोतों से कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात किया था। वर्तमान में, घरेलू कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, अगस्त, 2015 से एनटीपीसी द्वारा कोयले के आयात के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3949

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत का वितरण और पारेषण

3949. श्री अनंतकुमार हेगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या लोगों द्वारा विद्युत की अनुपलब्धता का सामना की जा रही समस्याओं का हल करने हेतु विद्युत के उत्पादन के स्थान पर उसके वितरण और पारेषण की समस्या के सुधार पर जोर देने की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार विद्युत के पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार के कारण देश में उपलब्ध अधिशेष विद्युत की संभावनाओं की खोज की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वितरण उपभोक्ताओं के साथ एक इंटरफेस है और यह विद्युत क्षेत्र वैल्यू चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः भारत सरकार विद्युत वितरण प्रणाली की प्रचालनात्मक दक्षता तथा डिस्कॉम की राजस्व वसूलीकरण को सुधारने के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (उदय) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों को शुरू करके वितरण अवसंरचना को सुधारने पर बल दे रहा है।

(ग) से (ङ) : दिनांक 12 जुलाई, 2017 को देश में उत्पादन परिसंपत्तियों की संस्थापित क्षमता 3,29,931 मेगावाट थी। वर्ष 2016-17 में व्यस्ततम मांग और मांग पूर्ति क्रमशः 1,59,542 मेगावाट और 1,56,934 मेगावाट थी। पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार से ऊर्जा हानियों में कमी होती है। भारत सरकार ने राज्यों के परामर्श से अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को कम करने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने "सभी के लिए 24X7 विद्युत" की व्यवस्था के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने "सभी के लिए 24X7 विद्युत" सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3949 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई एटीएंडसी हानियां ट्रेजेक्टरी								
क्र.सं.	राज्य / यूटिलिटियां	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	एपीईपीडीसीएल	6.87	5.48	5.46	5.45	5.44		
	एपीएसपीडीसीएल	12.36	11.49	11.29	11.09	10.89		
	आंध्र प्रदेश कुल	10.00	9.00	8.50	8.25	8.00		
2	अरुणाचल प्रदेश	51.26	57.74	52.41	43.00	39.00	25.00	15.00
3	असम	27.00	22.49	19.00	17.75	16.10	15.00	
4	एनबीपीडीसीएल	41.76	40.00	34.00	28.00	20.00	15.00	
	एसबीपीडीसीएल	45.83	44.00	38.00	30.00	22.00	15.00	
	बिहार कुल	43.80	42.00	36.00	29.00	21.00	15.00	
5	छत्तीसगढ़	22.41	21.00	18.93	18.00	15.00		
6	बीआरपीएल	14.73	14.20	13.70	13.20	12.70		
	बीवाईपीएल	19.54	18.54	17.54	16.54	15.54		
	टीपीडीडीएल	9.87	9.90	9.70	9.50	9.30		
	एनडीएमसी	9.85	9.85	9.85	9.85	9.63		
	दिल्ली कुल	-	13.72	13.22	12.72	12.50		
7	गोवा	21.06	21.06	18.75	16.59	15.00		
8	डीजीवीसीएल	9.33	9.29	9.24	9.19	9.15		
	एमजीवीसीएल	11.80	16.00	15.50	15.00	14.50		
	पीजीवीसीएल	22.77	22.00	19.66	17.33	15.00		
	यूजीवीसीएल	9.87	9.82	9.77	9.72	9.67		
	गुजरात कुल	14.64	14.50	14.00	13.50	13.00		
9	डीएचबीवीएनएल	26.12	25.22	22.48	18.76	15.00		
	यूएचबीवीएनएल	34.04	31.61	25.94	21.64	15.01		
	हरियाणा	32.80	28.05	24.02	20.04	15.00		
10	हिमाचल प्रदेश	14.00	13.85	13.50	13.00	12.75		
11	जम्मू एवं कश्मीर	61.30	56.00	46.00	35.00	25.00	15.00	
12	झारखंड	39.87	35.00	28.00	22.00	15.00		
13	बेसकॉम	16.76	12.94	14.61	14.36	14.08		
	गोसकॉम	22.01	20.65	17.75	16.67	15.00		
	हेसकॉम	20.44	18.10	17.68	17.02	15.00		
	मेसकॉम	15.11	12.99	12.55	11.79	11.70		
	चेसकॉम	17.11	16.20	15.16	14.74	14.50		
	कर्नाटक कुल	18.06	15.37	15.50	15.00	14.20		
14	केरल	11.91	11.57	11.45	11.23	11.00		
15	एमपीएमकेवीवीसीएल, भोपाल		28.65	22.09	19.19	17.20	15.00	
	एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर		22.38	20.40	18.41	16.27	15.00	
	एमपीपीयूकेवीवीसीएल, जबलपुर		22.65	19.72	17.73	15.59	15.00	
	मध्य प्रदेश कुल		26.27	21.15	19.15	17.00	15.00	

16	महाराष्ट्र	18.47	17.31	16.74	15.61	14.39	14.00	
17	मणिपुर		44.20	25.15	18.70	15.00		
18	मेघालय	24.00	36.50	32.51	27.50	21.50	15.00	
19	मिजोरम	26.14	32.17	27.38	23.76	20.30	15.00	
20	नागालैंड	68.69	65.50	55.15	44.80	34.45	24.21	
21	सीईएससीओ	37.58	34.49	31.49	28.49	25.99	23.49	
	एनईएससीओ	34.13	31.23	28.44	25.14	22.23	19.73	
	एसईएससीओ	44.39	40.39	36.39	33.39	30.39	27.39	
	डब्ल्यूईएससीओ	39.44	34.44	30.17	26.74	23.80	21.30	
	ओडिशा कुल	38.89	35.14	31.62	28.44	25.60	22.98	
22	पुडुचेरी		19.88	19.00	15.00	12.00		
23	पंजाब	16.66	16.16	15.30	14.50	14.00		
24	एवीवीएनएल		24.00	20.00	17.50	15.00		
	जेवीवीएनएल		28.00	22.00	18.50	15.00		
	जेडीवीवीएनएल		22.40	18.00	16.50	15.00		
	राजस्थान कुल		24.00	20.00	17.50	15.00		
25	सिक्किम	42.00	37.13	29.50	25.94	15.00		
26	तमिलनाडु	19.72	14.58	14.06	13.79	13.50		
27	टीएसएसपीडीसीएल	15.90		12.68	11.30	9.90		
	टीएसएनपीडीसीएल	13.13		11.90	10.95	10.00		
	तेलंगाना कुल	13.13		12.29	11.12	9.95		
28	त्रिपुरा	26.35	33.80	30.00	25.00	20.00	15.00	
29	डीवीवीएनएल	38.95	35.94	30.30	24.83	20.44	15.35	
	एमवीवीएनएल	35.46	33.13	27.80	23.20	19.45	14.89	
	पीवीवीएनएल	25.02	24.63	22.99	20.63	17.53	14.01	
	पीयूवीवीएनएल	42.04	38.87	34.19	26.92	20.65	15.49	
	केईएससीओ	32.83	35.25	29.44	24.11	19.37	14.45	
	उत्तर प्रदेश कुल	34.22	32.36	28.27	23.63	19.36	14.86	
30	उत्तराखंड	18.64	17.00	16.00	15.00	14.50		
31	पश्चिम बंगाल	29.00	28.00	25.75	23.50	22.50	21.00	

27 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि कमी ट्रेजेक्ट्री उदय के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसार हैं।

आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने समझौता-ज्ञापन में डिस्कॉम-वार एटीएण्डसी हानि ट्रेजेक्ट्री दर्शाई है। इन राज्यों के लिए राज्य-वार एटीएण्डसी हानि ट्रेजेक्ट्री का अनुमान उनकी डिस्कॉम-वार ट्रेजेक्ट्री के आधार पर लगाया गया है।

दिल्ली ट्रेजेक्ट्री आंकड़े सभी के लिए विद्युत के अनुसार है। नागालैंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित हानि कमी ट्रेजेक्ट्री के प्रत्युत्तर में हानि कमी ट्रेजेक्ट्री प्रस्तुत की।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3952

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

25 और 50 मेगावाट वाले विद्युत संयंत्र

3952. श्री आलोक संजर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में ऐसी विद्युत इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो 25 से 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती हैं;
- (ख) क्या देश में सभी लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 31 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार देश में (राज्य-वार) 25 से 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने वाली विद्युत इकाइयों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : सभी के लिए विद्युत का प्रावधान करने के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/डिस्कॉम उत्तरदायी हैं। तथापि, भारत सरकार निम्नलिखित उपायों के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 99,209 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है तथा नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 29,462 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
- (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,10,370 सर्किट किलोमीटर और 2,82,750 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 3,31,214 एमवीए पूरी कर दी गई है।

- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की भागीदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3952 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

31.07.2017 की स्थिति के अनुसार 25 मेगावाट और 50 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत उत्पादन यूनिटों की सूची

क्षेत्र	राज्य	क्षेत्र	परियोजना का नाम	मुख्य प्रवर्तक	यूनिट सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
डब्ल्यूआर	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	भीरा एचपीएस	हाइड्रो	1	25
डब्ल्यूआर	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	भीरा एचपीएस	हाइड्रो	2	25
डब्ल्यूआर	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	भीरा एचपीएस	हाइड्रो	3	25
डब्ल्यूआर	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	भीरा एचपीएस	हाइड्रो	4	25
डब्ल्यूआर	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	भीरा एचपीएस	हाइड्रो	5	25
डब्ल्यूआर	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	भीरा एचपीएस	हाइड्रो	6	25
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	कोरबा-II	स्टीम	1	50
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	कोरबा-II	स्टीम	2	50
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	कोरबा-II	स्टीम	3	50
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	कोरबा-II	स्टीम	4	50
एनईआर	नागालैंड	केंद्रीय क्षेत्र	दोयांग एचपीएस	हाइड्रो	1	25
एनईआर	नागालैंड	केंद्रीय क्षेत्र	दोयांग एचपीएस	हाइड्रो	2	25
एनईआर	नागालैंड	केंद्रीय क्षेत्र	दोयांग एचपीएस	हाइड्रो	3	25
एसआर	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	कदरा एचपीएस	हाइड्रो	1	50
एसआर	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	कदरा एचपीएस	हाइड्रो	2	50
एसआर	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	कदरा एचपीएस	हाइड्रो	3	50
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कक्कड़ एचपीएस	हाइड्रो	1	25
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कक्कड़ एचपीएस	हाइड्रो	2	25
एसआर	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	कालीनदी सुपा एचपीएस	हाइड्रो	1	50
एसआर	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	कालीनदी सुपा एचपीएस	हाइड्रो	2	50
एनईआर	असम	राज्य क्षेत्र	करबी लांगपी एचपीएस	हाइड्रो	1	50
एनईआर	असम	राज्य क्षेत्र	करबी लांगपी एचपीएस	हाइड्रो	2	50
एनईआर	मेघालय	केंद्रीय क्षेत्र	खोंडोंग एचपीएस	हाइड्रो	1	25
एनईआर	मेघालय	केंद्रीय क्षेत्र	खोंडोंग एचपीएस	हाइड्रो	2	25
एनईआर	असम	केंद्रीय क्षेत्र	कोपिली एचपीएस	हाइड्रो	1	50
एनईआर	असम	केंद्रीय क्षेत्र	कोपिली एचपीएस	हाइड्रो	2	50
एनईआर	असम	केंद्रीय क्षेत्र	कोपिली एचपीएस	हाइड्रो	3	50
एनईआर	असम	केंद्रीय क्षेत्र	कोपिली एचपीएस	हाइड्रो	4	50
एनईआर	असम	केंद्रीय क्षेत्र	कोपिली एचपीएस	हाइड्रो	5	25
एसआर	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	कुंडहा एचपीएस	हाइड्रो	12	50
एसआर	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	कुंडहा एचपीएस	हाइड्रो	13	50
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कुट्टीयाडी अति. एक्स.	हाइड्रो	1	50
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कुट्टीयाडी अति. एक्स.	हाइड्रो	2	50
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कुट्टीयाडी एचपीएस	हाइड्रो	1	25
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कुट्टीयाडी एचपीएस	हाइड्रो	2	25
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कुट्टीयाडी एचपीएस	हाइड्रो	3	25
एसआर	केरल	राज्य क्षेत्र	कुट्टीयाडी एचपीएस	हाइड्रो	4	50
एनआर	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	माही बजाज एचपीएस	हाइड्रो	1	25
एनआर	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	माही बजाज एचपीएस	हाइड्रो	2	25
एनआर	हिमाचल प्रदेश	निजी क्षेत्र	मलाना-II एचपीएस	हाइड्रो	1	50
एनआर	हिमाचल प्रदेश	निजी क्षेत्र	मलाना-II एचपीएस	हाइड्रो	2	50
एसआर	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	मेडूर टनल एचपीएस	हाइड्रो	1	50
एसआर	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	मेडूर टनल एचपीएस	हाइड्रो	2	50
एसआर	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	मेडूर टनल एचपीएस	हाइड्रो	3	50
एसआर	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	मेडूर टनल एचपीएस	हाइड्रो	4	50
एसआर	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	नागार्जुन एसजीआर टीआर	हाइड्रो	1	25

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3954

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

3954. श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सभी राज्यों हेतु 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार की पहल के रूप में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;
- (ख) क्या विद्युतीकृत गांवों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के मध्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना अंतर है;
- (घ) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण का पता लगाने हेतु गर्व एप शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खराब विद्युत की आपूर्ति का एक मुख्य कारण पारेषण प्रणाली में समस्या है और यदि हां, तो देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पारेषण प्रणाली को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (च) क्या गांवों के विद्युतीकरण कार्य में लगी संविदा कंपनियों ने अपना कार्य समय पर पूरा कर लिया है और यदि नहीं, तो उक्त कंपनियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 30.06.2017 तक 15277 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए गए हैं। राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख) और (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत वितरण तथा निरंतर और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार ने राज्य की नीति के अनुसार, सभी को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संयुक्त पहल की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, क्षेत्रीय विद्युत समितियों के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर देश में वर्ष 2016-17 के दौरान ऊर्जा के संबंध में 0.7% तथा व्यस्ततम भार मांग के संबंध में 1.6% की मांग का मांग-आपूर्ति अंतर झेला है।

(घ) : रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने गर्व ऐप की शुरुआत की है। घरेलू और वासस्थल विद्युतीकरण के अतिरिक्त निगरानी तंत्र को राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्तमान प्लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है।

(ङ) : निरंतर और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य/विद्युत यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है। तथापि, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण प्रणाली को सुधारने के लिए प्रणाली सुदृढीकरण हेतु 9601.87 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

(च) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा किया जाता है जो संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यदि ठेकेदारों का निष्पादन संतोषजनक नहीं होता है, तो कार्यान्वयन एजेंसी पीआईए और ठेकेदार के बीच निष्पादित करार की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दण्ड/निर्णित हर्जाना लगा सकती है।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3954 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या
(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (30.06.2017 तक)
1	अरुणाचल प्रदेश	107	174	175	17
2	असम	190	942	1,218	132
3	बिहार	341	1,754	556	97
4	छत्तीसगढ़	67	405	294	101
5	हिमाचल प्रदेश	6	1	27	0
6	जम्मू एवं कश्मीर	9	27	5	0
7	झारखंड	161	750	1,104	134
8	कर्नाटक	0	0	14	14
9	मध्य प्रदेश	86	214	159	5
10	मणिपुर	192	75	121	14
11	मेघालय	43	1	681	52
12	मिजोरम	47	16	24	2
13	नागालैंड	10	0	76	2
14	ओडिशा	13	1264	1,092	169
15	राजस्थान	70	163	263	0
16	त्रिपुरा	0	9	17	0
17	उत्तर प्रदेश	59	1,305	162	3
18	उत्तराखंड	4	0	18	6
19	पश्चिम बंगाल	0	8	9	1
कुल		1405	7108	6015	749

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3959

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में अनुसंधान

3959. श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण उपकरण में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु कोई निवेश किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;
- (ग) इस संबंध में सरकार के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां आ रही हैं तथा इन चुनौतियों/ कठिनाइयों से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार की उक्त पहल के बाद पारेषण संबंधी हानि में कोई सुधार हुआ है;
- (ङ) यदि हां, तो संबंधित सूचकांको का वर्ष 2010 से राज्य-वार वितरण क्या है; और
- (च) क्या सरकार ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं पारेषण संबंधी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने हेतु किसी अन्य नीति पर कार्य कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय अपने नोडल अनुसंधान विकास केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करता है। ये अनुसंधान कार्यकलाप इन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उपस्कर सहित विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों के लिए निर्देशित हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) और अनुसंधान नवप्रवर्तन प्रभाव एवं प्रौद्योगिकी (इमप्रिन्ट) स्कीमों के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं में भी भाग लेता है।

जून, 2014 में "सीपीआरआई की अनुसंधान एवं विकास स्कीमों" के लिए 80 करोड़ रुपए के परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसमें से 35.01 करोड़ रुपए की राशि 31.03.2017 तक जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग भी विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में शामिल है।

सीपीआरआई की अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के अंतर्गत तथा एनटीपीसी, आईजीसीएआर तथा भेल सहित एक कंसोर्टियम द्वारा शुरू की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : विद्युत मंत्रालय के ध्यान में कोई विशेष कठिनाई/चुनौतियाँ नहीं आई है।

(घ) और (ङ) : पारेषण और वितरण (टीएण्डडी) हानियों में क्रमिक कमी हो रही है। 2009-10 से राज्य-वार पारेषण एवं वितरण हानियाँ **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

(च) : सरकार ने उत्पादन, वितरण एवं पारेषण से संबंधित अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. उत्पादन, पारेषण क्षमता और वितरण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता सहित "सभी के लिए 24X7 विद्युत" के लिए राज्य विशेष कार्ययोजना तैयार करना।
- ii. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत।
- iii. शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) की शुरुआत।
- iv. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का प्रचालनीकरण।
- v. उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत।
- vi. कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत संबंधी कमी।
- vii. नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के लिए हरित ऊर्जा कारीडोर का कार्यान्वयन।
- viii. वर्तमान क्षमता के 50% से 100% तक विनियमित प्रशुल्क पर वर्तमान निजी विद्युत संयंत्रों के विस्तार से विद्युत की खरीद को बढ़ाने के लिए प्रशुल्क नीति में संशोधन।
- ix. विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात् शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के प्रयोग एवं आबंटन के लिए स्कीम) का अनुमोदन।
- x. अंतिम मेगा परियोजनाओं (25 परियोजनाएं) के लिए 60 माह से 120 माह तक अंतिम मेगा प्रमाणपत्र देने की समयावधि को बढ़ाने के लिए मेगापावर पॉलिसी 2009 में संशोधन।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीपीआरआई की अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के अंतर्गत तथा एनटीपीसी, आईजीसीएआर तथा भेल सहित एक कंसोर्टियम द्वारा शुरू की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं।

- उच्च ताप सुपर कंडक्टर (एचटीएस) विद्युत उपस्करों, एचटीएस ट्रांसफार्मर और सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करेंट लिमिटर (एसएफसीएल) के डिजाइन, विकास एवं इंजीनियरिंग के लिए प्रौद्योगिकी।
- स्वच्छ विकास तंत्र (CO₂ न्यूनीकरण) के अंतर्गत ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में शॉर्ट रोटेशन वनीकरण वृद्धि बायोमास से समेकित संधारणीय विद्युत उत्पादन - नेशनल बायोमास एक्शन प्लान के लिए आरएंडडी पहल।
- प्रसंस्करण उद्योग के लिए वोल्टेज स्रोत स्टेबलाइजर आधारित डायनेमिक वोल्टेज रेगुलेटर का विकास।
- एचटीएस विद्युत पारेषण केबलों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/डिजाइन मानदंड एवं साधारण प्रयोगशाला स्केल सिंगल फेज एचटीएस का प्रदर्शन।
- विद्युत ट्रांसफार्मरों के लिए ऑन-लाइन डिऑल्वड गैस एनालाइसिस सिस्टम का विकास।
- ईंधन सेल एप्लीकेशनों के लिए नैनो आकार के मेटल डोपड संयंत्र लैयेरड टाइटेनेटस का प्रयोग कर जल स्प्लिटिंग के द्वारा हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन।
- कम कीमतों के सिलिकॉन रबड़ इंसुलेटर का विकास।
- बहु ईंधनों का साइनगैस में रूपान्तरण हेतु गैसीकरण रिएक्टर प्रणाली का विकास ।
- माइक्रो-ग्रिड के लिए विद्युत रूपान्तरण, नियंत्रण तथा सुरक्षा प्रौद्योगिकी।
- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मार्गदर्शन में एनटीपीसी, आईजीसीएआर एवं भेल के कंसोर्टियम द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए सरकार द्वारा स्वच्छ कोयला (कार्बन) प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट (एडीवी-यूएससी) शुरू की गई है।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(प्रतिशत में)

राज्य-वार पारेषण और वितरण हानियां (टीएण्डडी हानियां)							
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	टीएण्डडी हानियां						
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उत्तरी क्षेत्र							
चंडीगढ़	23.19	20.25	23.67	19.32	19.12	19.10	18.74
दिल्ली	22.09	20.04	19.32	22.11	19.86	21.49	19.58
हरियाणा	31.00	29.66	28.58	35.95	35.83	34.05	31.61
हिमाचल प्रदेश	20.52	22.22	18.62	19.14	21.03	20.81	18.75
जम्मू एवं कश्मीर	67.35	63.27	61.78	56.63	54.68	53.06	50.06
पंजाब	23.39	25.10	23.08	20.30	20.67	18.45	18.55
राजस्थान	29.99	27.87	27.94	24.93	26.92	27.51	29.13
उत्तर प्रदेश	33.15	34.01	32.35	26.88	29.07	27.19	24.51
उत्तराखण्ड	25.27	29.97	28.67	26.93	21.82	24.53	25.60
उत्तरी क्षेत्र	30.21	29.87	28.66	27.22	27.90	27.17	26.14
पश्चिमी क्षेत्र							
छत्तीसगढ़	18.62	15.06	16.45	28.83	28.38	29.21	30.78
गुजरात	22.77	19.24	21.81	18.48	18.11	19.28	19.10
मध्य प्रदेश	38.32	37.62	34.47	31.45	31.47	32.26	28.61
महाराष्ट्र	25.16	20.68	19.99	21.82	21.80	20.39	19.89
दमन एवं दीव	17.19	16.83	14.50	15.61	13.77	29.63	31.85
दादरा एवं नागर हवेली	11.21	10.14	12.07	9.86	8.55	10.33	10.06
गोवा	16.99	15.27	12.43	13.35	12.67	14.97	18.04
पश्चिमी क्षेत्र	25.77	22.50	22.39	22.66	22.58	22.81	22.07
दक्षिणी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	18.37	16.59	17.46	19.30	20.06	17.94	16.16
तेलंगाना						15.72	16.48
कर्नाटक	18.76	17.34	12.66	11.14	10.18	11.50	10.51
केरल	19.59	18.29	17.23	17.73	14.99	15.40	11.58
तमिलनाडु	18.41	13.47	16.34	14.51	10.84	11.07	10.85
पुडुच्चेरी	11.84	12.41	14.66	13.53	14.83	14.90	14.01
लक्षद्वीप	11.59	25.65	22.47	18.60	11.20	3.63	9.81
दक्षिणी क्षेत्र	18.50	15.81	15.81	15.66	14.37	13.65	12.85
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	43.58	50.77	50.89	49.42	47.26	46.27	42.82
झारखण्ड	22.24	17.07	14.34	13.58	13.06	17.20	16.99
ओडिशा	37.00	42.47	44.63	39.84	38.86	41.96	39.10
पश्चिम बंगाल	18.33	22.40	23.19	24.07	24.05	24.66	22.16
सिक्किम	39.01	33.67	31.12	28.14	23.11	24.97	26.52
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19.76	20.68	18.16	18.14	19.79	20.50	14.47
पूर्वी क्षेत्र	26.57	29.70	30.20	28.72	28.37	30.66	28.63
पूर्वांचल क्षेत्र							
अरुणाचल प्रदेश	48.04	47.12	46.25	46.00	46.30	46.24	50.60
असम	32.82	34.17	33.48	30.68	31.08	27.57	25.20
मणिपुर	54.66	50.87	40.45	35.12	38.51	40.95	44.45
मेघालय	39.06	35.77	30.97	23.64	21.38	33.14	32.32
मिजोरम	53.80	45.63	47.73	37.79	41.54	42.05	36.11
नागालैण्ड	56.91	48.24	41.53	40.16	35.79	26.51	29.89
त्रिपुरा	35.55	27.36	39.07	31.73	35.35	35.93	30.56
पूर्वांचल क्षेत्र	25.39	37.03	35.94	31.92	32.31	31.74	29.75
अखिल भारत	25.47	23.97	23.65	23.04	22.84	22.77	21.81

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3967

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

राजसहायता प्राप्त एल.ई.डी. बल्ब

3967. श्री भगवंत खुबा:

श्री जैदेव गल्ला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उजाला योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उजाला योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य को राज्यभर में प्रायोगिक आधार पर उजाला योजना के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में उक्त योजना को लागू करने हेतु कोई समय-सीमा तय की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) योजना का कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो कि विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक संयुक्त उद्यम है, द्वारा किया जा रहा है। यह ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्बों की मांग एवं थोक खरीद के संग्रह पर आधारित है जिसके परिणामस्वरूप इन बल्बों की खरीद कीमतों में कमी आती है, जो कि उपभोक्ताओं को दी जाती है। इस स्कीम में सरकारी सब्सिडी का कोई घटक नहीं है। उजाला योजना के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- i. व्यस्ततम मांग के प्रबंधन के लिए डिस्कॉमों की मदद के लिए लाइटिंग सेक्टर में ऊर्जा खपत को कम करना;

- ii. घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर सर्वाधिक दक्ष लाइटिंग तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना;
- iii. दक्ष उपस्करों के प्रयोग की प्रभावोत्पादकता के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता को बढ़ाना;
- iv. देशभर में कुल मांग द्वारा एलईडी लाइटों की मांग को बढ़ाने और बड़े आकार की किफायत के माध्यम से घरेलू लाइटिंग उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ख) : किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, 1 अगस्त, 2017 तक एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने उजाला योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 25.28 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया है। इसमें 6575 मेगावाट की उपयोग न की गई मांग के साथ 32.84 बिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष से अधिक की ऊर्जा बचतों तथा 26.60 मिलियन टन CO₂ प्रति वर्ष की जीएचजी उत्सर्जन में कमी का अनुमान लगाया गया है। ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्बों के वितरण का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र ने बचत की गई विद्युत, उपयोग न की गई व्यस्ततम मांग तथा जीएचजी उत्सर्जन में कमी को जोड़ते हुए जून, 2017 तक 41.44 करोड़ एलईडी बल्बों का विक्रय भी किया है।

(ग) और (घ) : प्रारम्भ में, उजाला योजना आन्ध्रप्रदेश के चार जिलों अर्थात् श्रीकाकुलम, पश्चिम गोदावरी, गुन्टूर तथा अनंतपुर में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। अब, उजाला योजना का कार्यान्वयन सम्पूर्ण राज्य में किया गया है। दिनांक 1 अगस्त, 2017 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में 2.16 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 563 मेगावाट की उपयोग न की गई व्यस्ततम मांग के साथ 2.80 बिलियन किलोवाट घंटा से अधिक की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है तथा 2.28 मिलियन टन CO₂ की जीएचजी उत्सर्जन में कमी हुई है।

(ङ) : घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए उजाला योजना की 5 जनवरी, 2015 को शुरुआत की गई थी जिसमें संपूर्ण भारत में मार्च, 2019 तक 77 करोड़ तापदीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलने का लक्ष्य है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3967 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वितरित एलईडी बल्बों की सं. (01 अगस्त, 17 की स्थिति के अनुसार)	वर्ष के आधार पर अनुमानित ऊर्जा बचत (एमयू)	अनुमानित उपयोग न की गई व्यस्ततम मांग (मेगावाट)
1	अंडमान निकोबार	4,00,000	52.00	10.39
2	आंध्र प्रदेश	2,16,77,316	2,818.02	563.04
3	अरुणाचल प्रदेश	8,985	0.41	0.08
4	असम	15,31,046	199.04	39.77
5	बिहार	1,39,36,861	1,806.39	360.92
6	चंडीगढ़	2,35,859	30.66	6.13
7	छत्तीसगढ़	84,60,396	1,089.87	217.76
8	दादरा व नागर हवेली	1,35,667	17.64	3.52
9	दमन व दीव	1,35,924	17.67	3.53
10	दिल्ली	1,16,15,917	1,507.74	301.25
11	गोवा	8,20,333	106.64	21.31
12	गुजरात	3,59,88,490	4,671.01	933.27
13	हरियाणा	1,26,63,682	1,639.07	327.49
14	हिमाचल प्रदेश	76,27,735	991.61	198.12
15	जम्मू एवं कश्मीर	76,89,954	999.69	199.74
16	झारखंड	1,01,88,680	1,324.11	264.56
17	कर्नाटक	1,65,04,010	2,138.93	427.36
18	केरल	1,01,19,390	1,315.52	262.84
19	लक्षद्वीप	1,00,000	13.00	2.60
20	मध्य प्रदेश	1,40,20,204	1,814.84	362.61
21	महाराष्ट्र	2,12,92,816	2,768.07	553.06
22	मणिपुर	19,965	2.60	0.52
23	मेघालय	2,48,608	31.71	6.34
24	मिजोरम	5,28,624	68.25	13.64
25	नागालैंड	4,59,769	59.77	11.94
26	ओडिशा	1,07,68,272	1,395.46	278.81
27	पुडुचेरी	6,09,251	79.20	15.82
28	पंजाब	1,18,191	14.91	2.98
29	राजस्थान	1,36,22,341	1,768.22	353.29
30	सिक्किम	1,05,148	13.67	2.73
31	तमिलनाडु	4,97,119	61.81	12.35
32	तेलंगाना	13,40,472	172.89	34.54
33	त्रिपुरा	5,71,570	74.30	14.85
34	उत्तर प्रदेश	1,96,68,086	2,543.85	508.26
35	उत्तराखंड	38,61,511	499.79	99.86
36	पश्चिम बंगाल	52,88,707	678.43	135.55
कुल		25,28,60,899	32,846.78	6,575.81

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3971

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश और झारखण्ड में गांवों का विद्युतीकरण

3971. श्री राजेश पाण्डेय:

श्री निशिकान्त दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन दो राज्यों में राज्य-वार सभी गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) झारखण्ड और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत मांग की गई निधियां कितनी हैं और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार इसके अंतर्गत प्रदान की गई निधियां कितनी हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को झारखण्ड में 2,525 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव तथा उत्तर प्रदेश में 1,529 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। इनमें से 1,988 और 1,470 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 30.06.2017 तक झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 56 और 53 गांव गैर-आबादी वाले पाए गए। इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए परियोजनाएं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं।

(ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत निधि पूर्व परिभाषित पैरामीटरों तथा लक्ष्य की उपलब्धि के आधार पर जारी की गई है। इसके आधार पर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.07.2017 तक) झारखण्ड और उत्तर प्रदेश को क्रमशः 520.64 करोड़ रुपए तथा 4990.12 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3973

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

कार्यशील विद्युत संयंत्र

3973. श्री इन्नोसेन्टः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्थापित और प्रचालित विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है और इसमें से कोयला और गैस प्रचालित विद्युत संयंत्रों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ख) आज की तिथि अनुसार कार्यशील और गैर-कार्यशील ऐसे संयंत्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 31.07.2017 की तिथि के अनुसार, सरकार द्वारा स्थापित एवं प्रचालित विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या 325 है, जिनमें से 106 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं तथा 38 गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं।

(ख) : केंद्रीय क्षेत्र के 2 (दो) स्टेशनों सहित कुल 10 (दस) स्टेशन 2016-17 में विभिन्न कारणों जैसे कि ईंधन का उपलब्ध न होना/मंहगे वैकल्पिक ईंधन, नियोजित और जबरन बंदी तथा लाभार्थियों से उत्पादन शेड्यूल के प्राप्त न होने इत्यादि के कारण कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3978

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाएं

3978. श्री गोपाल शेटी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने निजी कंपनियों की संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की पहचान की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना/क्षमता तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसमें सम्मिलित राशि कितनी है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा अधिग्रहित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने बैंकों और सरकारी क्षेत्र की समृद्ध कंपनियों को उक्त कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए और इनके पुनर्गठन हेतु निधियां जारी करने के लिए निदेशित किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में इन बैंकों/कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार 34 रूकी हुई थर्मल (कोयला आधारित) विद्युत परियोजनाओं, जिनमें लगभग 1.77 लाख करोड़ का ऋण अनुमानित है, की स्थिति की समीक्षा की गई है।

(ग): उपर्युक्त 34 विद्युत परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है। तथापि, पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, चूंकि संघ में छह ऋणदाताओं अर्थात् रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), हाउसिंग एण्ड अर्बन डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको), नेशनल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईसी), देना बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और इंडेलीविस एआरसी सहित अग्रणी वित्तीय संस्था (एफआई), पीएफसी द्वारा 1 जून, 2016 से प्रतिभूत शेयरों के आंशिक लागू करने के साथ-साथ पीएफसी के उप-ऋण के साम्या में आंशिक अन्तरण के जरिए श्री माहेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में 10X40 मेगावाट) के 51% शेयरों की प्रमुख हिस्सेदारी अधिग्रहित की गई है। इसके अतिरिक्त, सिक्किम सरकार द्वारा अगस्त, 2015 में 1200 मेगावाट की मेसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड की 51 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण किया गया है।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4020

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

असम में विद्युत संकट

4020. श्री बदरुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सामान्यतः असम राज्य विशेषकर धुबरी जिला कम ग्रिड क्षमता के कारण विद्युत संकट का सामना कर रहा है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कभी व्यापार और वाणिज्य का एक जीवंत केन्द्र आज विद्युत संकट के कारण हाशिए पर चला गया है और अलग-थलग पड़ गया है जिससे उद्योग और छोटे उद्यम बंद हो रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार असम के लिए और अधिक विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोई पहल कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : असम राज्य ने अप्रैल-जून, 2017 के दौरान क्रमशः 5.2% और 6.9% की ऊर्जा और व्यस्ततम कमी का सामना किया। वर्तमान में, अंतर्राज्यीय स्तर पर असम को विद्युत का आयात करने की कोई पारेषण संबंधी बाधा नहीं है। पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र तक उपलब्ध पारेषण क्षमता (एटीसी) 1000 मेगावाट है। तथापि, असम के कुछ क्षेत्रों में कुछ अंतःराज्यीय पारेषण संबंधी बाधाएं हैं।

(ख) से (ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सीपीएसयू के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना तथा उनको विद्युत के आबंटन द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। वर्तमान में, असम को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से 1160 मेगावाट विद्युत का आबंटन किया गया है। केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की भावी परियोजनाओं से असम को 253 मेगावाट का लाभ है। केंद्र सरकार द्वारा आबंटित विद्युत तथा राज्य क्षेत्र विद्युत संयंत्रों तथा अन्य स्रोतों से व्यवस्था की गई विद्युत की आपूर्ति डिस्कॉर्मों द्वारा राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों/शहरों/नगरों को आपूर्ति की जाती है, जो संबंधित राज्य सरकार की प्राथमिकता से जुड़ी होती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4033

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

मेरिट एप

4033. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिज्युवेनेशन ऑफ इनकम ट्रांसपेरेन्सी (एम.ई.आर.आई.टी.) एप्लीकेशन (एप) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं को क्या लाभ प्राप्त हुआ; और
- (ख) क्या सरकार संसाधनों का दुर्विनियोजन रोकने और कोयले का कुशल प्रबन्धन करने के लिए ऐसी एप्लीकेशनों के उपयोग की संभाव्यता तलाश रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। 'मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिज्युवेनेशन ऑफ इनकम ट्रांसपेरेन्सी (एम.ई.आर.आई.टी.)' मोबाइल एप की शुरुआत 05 जुलाई, 2017 को हुई थी। इस एप में देश में एम.ई.आर.आई.टी. ऑर्डर डिस्पैच से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इसमें विद्युत की स्रोत-वार निर्धारित एवं परिवर्तनीय लागतें, विद्युत की राज्य-वार सीमांत लागतें, ऊर्जा वॉल्यूम एवं क्रय कीमतों से संबंधित सूचना प्रदर्शित की जाती है।

एम.ई.आर.आई.टी. एप्लीकेशन (एप) के लाभों में सीमांत परिवर्तनीय लागत और विद्युत के स्रोत-वार क्रय से संबंधित पारदर्शी सूचना प्रसारण शामिल है इसमें विद्युत की खरीद की लागतों का इष्टतमीकरण और आपूर्ति पक्ष पर्याप्तता की सूचना एवं विद्युत खरीद की लागत का इष्टतमीकरण हो सकता है।

मोबाइल वर्जन, एप्पल डिवाइसों के लिए एंड्रॉयड/आईओएस एप्लीकेशन (एप) स्टोर के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

(ख) : ऐसे एप्लीकेशन (एप) के विकास का मूल उद्देश्य प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाना है जिसमें अधिक जिम्मेदारी और संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हो।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4037

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

पारेषण परियोजनाओं पर विमुद्रीकरण का प्रभाव

4037. श्री के. अशोक कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विभिन्न पारेषण परियोजनाओं की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट दर्शाती है कि विमुद्रीकरण के कारण अनेक निर्माण स्थलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थलीय क्रिया-कलाप 500 रुपए और 1,000 रुपए जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोट की 9 नवंबर, 2016 से अनुपलब्धता के कारण काफी प्रभावित हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या वे परियोजनाएं जिनमें लगभग 2,000 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइन पोलिंग स्टेशन, उपस्टेशन और स्विचिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शामिल था, उनकी प्रगति प्रभावित हुई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : पारेषण यूटिलिटियां जैसे कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल), गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (जीईटीसीओ) और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने सूचित किया है कि उनकी परियोजनाओं पर नोटबंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, 4 पारेषण यूटिलिटियां अर्थात् स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एपीट्रांसको ने बताया है कि नोटबंदी के कारण उनकी परियोजनाएं मामूली प्रभावित हुई हैं परंतु उक्त अवधि में पारेषण लाइन संबंधी कार्य का निष्पादन जारी रहा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4043

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई का प्रभाव

4043. कुँवर भारतेन्द्र सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रत्येक घर तक पहुंची है और हाल में विद्युतीकृत गांवों में विद्युत प्रदान की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्युतीकृत गांवों में विद्युत की पहुंच वाले घरों का प्रतिशत कितना है;
- (ग) क्या सरकार की योजना इन गांवों में शत प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण करने की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों के घरों में आपूर्ति की गई विद्युत के समय के घंटों के संबंध में कोई अनुमान लगाया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्युतीकृत गांवों के घरों में औसतन कितने घंटे विद्युत पहुंच रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) में ग्रामीण विद्युतीकरण, फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण, मीटरिंग और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराना शामिल है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2015 तक की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे। इनमें से 14,080 गाँव 31 जुलाई, 2017 तक विद्युतीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 तक चरणबद्ध ढंग से राज्य की नीति के अनुसार सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध करवाने तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट रोड मैप तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल शुरू की है।

(ङ) और (च) : घरों को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटीयों का होता है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में की गई विद्युत आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा औसत अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4043 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

माह : जून-2017

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों को एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे
	1	2
1	आंध्र प्रदेश	23.86
2	अरुणाचल प्रदेश	14.30
3	असम	18.33
4	बिहार	17.35
5	छत्तीसगढ़	23.00
6	गुजरात	24.00
7	हरियाणा	13.58
8	हिमाचल प्रदेश	24.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	14.75
10	झारखंड	15.48
11	कर्नाटक	17.12
12	केरल	23.00
13	मध्य प्रदेश	22.94
14	महाराष्ट्र	23.32
15	मणिपुर	21.50
16	मेघालय	21.50
17	मिजोरम*	13.00
18	नागालैंड	19.00
19	ओडिशा	20.90
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम	17.25
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश	17.43
27	उत्तराखंड*	23.52
28	पश्चिम बंगाल	24.00

* मिजोरम के मई माह और उत्तराखंड के जनवरी माह के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4057

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

बीपीएल लाभार्थियों की पहचान

4057. श्री बलभद्र माझी:

श्रीमती रीता तराई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की बेहतर और व्यापक कवरेज के लिए उनकी पहचान हेतु, 1997 में किए गए सर्वेक्षण की बजाए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी), 2011 करने का प्रस्ताव है क्योंकि एसईसीसी, 2011 के अनुसार ओडिशा में बीपीएल परिवारों की संख्या 57 लाख है जबकि 1997 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 44 लाख दर्शायी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित विषय है और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की योजनाओं के लिए एसईसीसी आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4067

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी नीति आयोग की रिपोर्ट

4067. कुमारी सुष्मिता देव:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नीति आयोग ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह कहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है क्योंकि विद्युतीकृत गांवों में कई परिवार अभी भी विद्युत के बिना रह रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो नीति आयोग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार रखती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नीति आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट उनके द्वारा जारी नहीं की गई।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4096

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को कोयला

4096. डॉ. कंभमपति हरिबाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत-उत्पादन हेतु कोयले पर निर्भरता घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र हेतु उपभोग किए गए कोयले की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान नवीन कोयला विद्युत संयंत्रों का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी लगभग समान है। चालू वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्रों द्वारा खपत किए गए कोयले का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार "कोई भी उत्पादक कम्पनी इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति को प्राप्त किए बिना उत्पादक स्टेशन को स्थापित, संचालित और रख-रखाव कर सकेगी, यदि उक्त कम्पनी ने ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानदण्डों का अनुपालन किया है।" इसलिए उत्पादन लाइसेंस रहित कर दिया गया है और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना का निर्णय प्रत्येक विकासकर्ताओं/निवेशकों पर छोड़ दिया गया है।"

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4096 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्रोत-वार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

ईंधन	2017-18 (जनवरी, 17 तक)*		2016-17		2015-16		2014-15	
	उत्पादन (एमयू)	कुल उत्पादन में हिस्सा (%)	उत्पादन (एमयू)	कुल उत्पादन में हिस्सा (%)	उत्पादन (एमयू)	कुल उत्पादन में हिस्सा (%)	उत्पादन (एमयू)	कुल उत्पादन में हिस्सा (%)
कोयला	240106.97	72.09	910135.81	73.28	862015.25	73.45	800333.88	72.07

* वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अनंतिम।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4096 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत संयंत्रों द्वारा खपत किए गए कोयले की मात्रा

वर्ष	कोयला खपत (मिलियन टन)
2014-15	530.4
2015-16	545.9
2016-17	574.9
2017-18 (अप्रैल-जून, 2017)	151.8

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4099

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत परियोजनाओं का विस्तार

4099. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी:

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) के विस्तार की व्यवहार्यता के संबंध में समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने टीपीपी के विस्तार संबंधी स्थिति रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या पक्ष है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, नहीं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात् विद्युत का उत्पादन लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। संबंधित विद्युत उत्पादन कंपनियां तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर ताप विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के संबंध में स्वयं निर्णय लेती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4104

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

सभी परिवारों को बिजली

4104. श्री संजय काका पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक परिवार को बिजली प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है;
- (घ) क्या सरकार का कृषि और कृषि-उद्योगों में उपयोग हेतु किसानों को न्यूनतम दरों पर बिजली प्रदान करने का विचार है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार ने शहरों के साथ-साथ गांवों को विद्युत की आपूर्ति हेतु निजी कंपनियों को भी शामिल किया है; और
- (छ) यदि हां, तो शामिल की गई कंपनियों के नाम और इस प्रयोजनार्थ अपनाए गए मापदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वर्ष 2021-2022 तक एक चरणबद्ध तरीके से "सभी के लिए 24X7 विद्युत" उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी घरों को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध करवाना संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। सभी राज्य सरकार और संघ-राज्य क्षेत्रों ने केन्द्र सरकार के साथ "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ) : विद्युत आपूर्ति का प्रशुल्क संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग अथवा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(च) और (छ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और अपने उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध करवाना संबंधित राज्य सरकारों/डिस्कॉमों का उत्तरदायित्व है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी निजी वितरण कंपनियों की सूची अनुबंध में दी गई हैं।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4104 के भाग (च) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में विभिन्न राज्यों में निजी वितरण कंपनियों की सूची

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	वितरण कंपनी का नाम
उत्तरी क्षेत्र		
1	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कं. लि. (एनपीसीएल)
2	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)
		बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)
		टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)
पश्चिमी क्षेत्र		
3	छत्तीसगढ़	भिलाई स्टील प्लांट
		जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल)
4	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल), अहमदाबाद
		टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) - सूरत
		टोरेंट एनर्जी लिमिटेड - एसईजेड - देहाज
		मुंद्रा पोर्ट सेज यूटिलिटीज प्रा. लि. (एमयूपीएल)
		एसपेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लि. (सिंफ्रा), एसईजेड, वड़ोदरा
		जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लि., इंडस्ट्रियल एस्टेट, भरूच
5	महाराष्ट्र	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
		टाटा पावर कं. लि.
		माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स प्रा. लि. (एसईजेड -आईटी पार्क एरोली)
		महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कारपोरेशन (मिहान नागपुर)
		इक्सोरा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (एसईजेड पनवेल)
		क्वारड्रोन बिजनेस पार्क लि. (एसईजेड -आईटी पार्क हिंजेवड़ी, पुणे)
		गीगाप्लेक्स एस्टेट प्रा. लि. (एसईजेड -आईटी और एरोली में आईटीईएस)
दक्षिणी क्षेत्र		
6	केरल	कनन देवन हिल्स प्लांटेशनस कंपनी लिमिटेड (केडीएचपी)
		किनेस्को पावर यूटिलिटी लि., कोच्चि
पूर्वी क्षेत्र		
7	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कं. (सीईएससी)
		इंडियन पावर कारपोरेशन लि. (आईपीसीएल) (पूर्व में डीपीएससीएल)
8	झारखंड	जमशेदपुर यूटिलिटी एंड सर्विसेज कंपनी लि. (जेयूएससीओ)
		टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4109

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन

4109. श्री राजेश कुमार दिवाकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को जमीनी स्तर पर समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन निधि की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा इस योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निधि जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को शामिल किया गया है और यदि नहीं तो सभी गांवों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) देश भर में सही ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से पर्याप्त निधियां आवंटित की जाती हैं। निधियां, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग के आधार पर तथा इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक प्रगति की अनुपालना के आधार पर जारी की जाती हैं।

(घ) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2015 तक राज्य में 1,529 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे इनमें से 1,470 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 30 जून, 2017 तक 53 गाँव गैर-आबादी वाले सूचित किए गए। शेष 6 जनगणना गाँवों का मई, 2018 से पूर्व विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4112

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

गांवों के विद्युतीकरण की परिभाषा

4112. श्री जनक राम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या के संबंध में सरकार का क्या आकलन है;
- (ख) विद्युतीकृत गांव की क्या परिभाषा है;
- (ग) परिभाषा के अनुसार, किसी गांव के कितने प्रतिशत घरों में विद्युत कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता है और विद्युत आपूर्ति और उपयोग के न्यूनतम घंटे कितने हैं;
- (घ) क्या सरकार विद्युतीकृत गांव की परिभाषा में उक्त मानदंडों, यदि उन्हें अभी तक विहित नहीं किया गया है, को शामिल करने पर विचार कर रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2015 तक देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे जिनमें से 31 जुलाई, 2017 तक 14,080 गैर-विद्युतीकृत जनगणना वाले गाँवों को विद्युतीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार किसी गाँव को तभी विद्युतीकृत घोषित किया जाता है यदि:

- i) आधारभूत अवसंरचना जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें वासस्थलों तथा दलित बस्ती/हेमलेट, जहाँ पर वह मौजूद है, में उपलब्ध कराई जाती हों।
- ii) विद्युत सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि को उपलब्ध कराई जाती हों।
- iii) विद्युतीकृत किए गए घरों की संख्या गाँव में घरों की कुल संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से वर्ष 2021-22 तक चरणबद्ध तरीके से राज्य नीति के अनुसार सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 24X7 विद्युत के लिए और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है।
